क्र.स.7

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राज0 जयपुर–05

कमांक : एफ 15(1)आयु.उ./ईएम अनु./ईएम–मार्गदर्शन/2012 दिनांक : 20/4/2012

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
जयपुर (शहर)

विषयः **MSMED Act, 2006** के तहत निर्धारित उद्यमी ज्ञापन प्रपत्र प्रथम व द्वितीय के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांक–एफ( )ईएम/जिउके/शहर/1108 दि. 13.3.2012

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक–एफ.15(33)आयु.उ./ईएम अनु./जयपुर(ग्रामीण)/2007 दिनांक 1.12.2011 के साथ संलग्न कार्यालय विकास आयुक्त (MSME) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 19.10.2011 में MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत दाखिल किये गये उद्यमी ज्ञापन में दी गई जानकारी/सूचना का सत्यापन करने के संबंध में जारी निर्देश के बारे में आपने लिखा है कि विकास आयुक्त के पत्र दिनांक 19.10.2011 में दी गई शर्तों पर पुनर्विचार कर ज्ञापन में दी गई सूचना के तर्क संगत न होने पर निरीक्षण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

उपरोक्त संबंध में लेख है कि MSMED Act, 2006 लागू होने के उपरान्त पूर्व की अस्थाई/स्थाई पंजीयन प्रकिया समाप्त कर दी गई है। अधिनियम के तहत उद्यमी द्वारा उद्यमी ज्ञापन जिला उद्योग केन्द्र में दाखिल करने पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यमी को मात्र एक्नॉलेजमेन्ट (अभिस्वीकृति सूचना) जारी करनी होती है। उद्यमिता ज्ञापन स्वीकार करने हेतु उद्यमी से किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र/दूसरे विभाग जैसे प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन/पंचायत/विद्युत बोर्ड/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की स्वीकृति लेना अनिवार्य नहीं है क्योंकि उद्यमिता ज्ञापन में स्वयं उद्यमी द्वारा उक्त स्वीकृतियां/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेने की अण्डरटेकिंग दी जाती है।

भारत सरकार से प्राप्त EM Part-I व II के साथ संलग्न शिड्यूल I व II में भी उद्यम का निरीक्षण किये जाने का उल्लेख नहीं है। अतः MSMED Act, 2006 में दिये गये निर्देशानुसार ही उद्यमिता ज्ञापन की अभिस्वीकृति जारी की जावे। महाप्रबन्धक स्तर से अपना विवेक अपनाकर अभिस्वीकृति सूचना जारी करने हेतु निरीक्षण की कार्यवाही नहीं की जावे।

ह0

आयुक्त, उद्योग

कमांक : एफ 15(1)आयु.उ./ईएम अनु./ईएम–मार्गदर्शन/2012 दिनांक : 20/4/2012

प्रतिलिपिः महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त को पालनार्थ प्रेषित है।

संयुक्तनिदेशक, उद्योग